## खास-खबरें

### जनजातीय संग्रहालय में प्रवेश एवं फोटोग्राफी शुल्क में वृद्धि

**भोपाल।** मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में प्रवेश एवं फोटोग्राफी शुल्क में 1 जुलाई, 2022 से वृद्धि की गई है। जिसमें भारतीय दर्शक (10 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिये) रुपये 20, विदेशी दर्शक (10 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिये) रुपये 400, फोटोग्राफी प्रति कैमरा/ मोबाइल (अव्यवसायिक बिना स्टैण्ड, ट्रायपॉड, सेल्फीस्टिक) के रुपये 100 निश्चित किया गया है, जो 1 जुलाई, 2022 से प्रभावशील होगा। संग्रहालय के खुलने एवं बंद होने का समय दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक है। संग्रहालय की विभिन्न दीर्घाओं में मध्यप्रदेश के जनजातीय समुदायों के आवास की वास्तुगत, शिल्पगत और व्यवहारगत रूपों को प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय में 6 अलग-अलग कलाओं शिल्प माध्यमों की दीर्घाएं हैं जिनमें जनजातीय जीवन की झलक, उनके परिवेश, खेल, संस्कृति, देवलोक आदि देखने को मिलते हैं। प्रत्येक दीर्घा में जिज्ञासुओं, शोधार्थियों के लिए कियोस्क स्थापित किए गए हैं जिससे उस दीर्घा विशेष के बारे में हिंदी अथवा अंग्रेजी में विस्तार से जाना-समझा जा सकता है।

### संग्रहालय लोकरुचि व्याख्यान

**भोपाल।** इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर संग्रहालय लोकरुचि व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज कोरियाई किस्सागोई विषय पर आयोजित व्याख्यान को कलाकार सुश्री सिंग आ किम ने गूगल मीट, फेसबुक लाइव के माध्यम से ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि लोक कथाएँ और कहानियाँ सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और लोगों को शिक्षित करने और मानव व्यवहार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह सबसे मूल्यवान विरासत दुनिया भर में पीढ़ियों से मौखिक विरासत में मिली है। उन्होंने दक्षिण कोरिया में प्रसिद्ध शेर और खरगोश की कहानी बताई कहानी में स्वयं से प्यार करने और स्वयं की रक्षा करने का संदेश निहित था। कार्यक्रम में प्रोफेसर गल्ला सहित अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएं एवं संग्रहालय स्टॉप बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

### मप्रपक्षेविविकं की दूसरी लेब को भी मिला एनएबीएल सर्टिफिकेट

**भोपाल।** देश की परीक्षण प्रयोगशाला को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता देने वाली एकमात्र संस्था नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कॉलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) से मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की दूसरी टेस्टिंग लेब को भी मान्यता मिल गई है। मप्रपक्षेविविकं इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि इंदौर पोलोग्राउंड स्थित ट्रांसफार्मर, केबल, कंडक्टर की टेस्टिंग करने वाली लेब को पिछले वर्ष एनएबीएल सर्टिफिकेट मिला था। इसके बाद शुक्रवार को उज्जैन स्थित रीजनल मीटर टेस्टिंग की अत्याधुनिक लेब को भी एनएबीएल सर्टिफिकेट मिला है। श्री तोमर ने बताया कि इंदौर और उज्जैन की दोनों लेब में बिजली के महत्वपूर्ण उपकरणों की अत्याधुनिक तरीके से टेस्टिंग हो रही है। दोनों ही लेब को आत्म-निर्भर भारत अभियान में निर्मित किया गया। श्री तोमर ने बताया कि इंदौर के पोलोग्राउंड स्थित मीटर टेस्टिंग की अत्याधुनिक लेब को भी एनएबीएल दर्जा दिलाने की सभी कार्रवाई पूर्ण कर दी गई है। दो सप्ताह में इंदौर के मीटर टेस्टिंग लेब को भी एनएबीएल मिलने की पूरी संभावना है।

राजधानी में शुक्रवार को भाजपा की पार्षद प्रत्याशी बृजलाल सचान वार्ड 31 में जनसंपर्क करते हुए।

राजधानी में नगर निगम चुनाव गति पकड़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को भाजपा के महापौर प्रत्याशी श्रीमती मालती राय ने ईदगाह हिल्स गुरुद्वारा में मत्था टेका तो कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती विभा पटेल छोला स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंचीं।

# पत्नी ने कारोबारी पति को पीटकर घर से निकाला

## पति पर भी मामला दर्ज, 40 लाख मांगे, सीसीटीवी फुटेज हटाए

**भोपाल (काप्र)।**

**राजधानी भोपाल में एक महिला ने अपनी मां के साथ मिलकर पति से मारपीट कर दी। इतना ही नहीं उन्होंने घटना के सबूत मिटाने के लिए घर में लगे सीसीटीवी फुटेज भी हटा दिए। कारोबारी का आरोप है कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी ने सास और ससुर के साथ मिलकर मकान का ताला तोड़कर घर पर कब्जा कर लिया। उन्हें घर से निकाल दिया है।**

पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर पति-पत्नी पर मारपीट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। गोपाल नगर में रहने वाले 40 साल के बृजेश सिंह रेत-गिट्टी के कारोबारी हैं। उन्होंने बताया कि उनका और उनकी पत्नी का तीन साल से विवाद चल रहा है। उनकी पत्नी ने तलाक के लिए 40 लाख रुपए की मांग की थी। उन्होंने अपना एक मकान भी पत्नी के नाम ही किया है। पैसे नहीं होने के कारण उन्होंने तलाक देने से मना कर दिया। गुरुवार दोपहर करीब साढ़े 3 बजे वे घर पहुंचे तो उनकी पत्नी, सास और ससुर घर का ताला तोड़ रहे थे। मैंने कहा कि ताला क्यों तोड़ रहे हो। हमसे चाबी ले लेते। इससे नाराज होकर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। पत्नी ने कलर पकड़ी और सास ने जोर से धक्का दे दिया। इससे उनके सीने में चोट भी लग गई। मौके से ही डायल 100 को कॉल किया। पुलिस के पहुंचने के बाद भी उनकी पत्नी और सास नहीं मानी। पुलिस हमें पुलिस स्टेशन ले आई। यहां पर भी पत्नी और सास झगड़ा करते रहे। पुलिस ने दोनों पक्षों पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने धाराओं में मामला दर्ज किया है। बृजेश ने बताया कि वे रेट और गिट्टी का कारोबार करते हैं। उनके नाम पर अयोध्या नगर में दो प्लाट हैं। इसके अलावा एक डूप्लैक्स और फ्लैट है। इसमें एक प्लाट उन्होंने बीबी के लिए बेच दिया, जबकि पिपलानी के गोपाल नगर वाला मकान पत्नी के नाम पर कर दिया। इसी मकान में वे रह रहे थे। गुरुवार को उन्हें घर से निकाल दिया। बृजेश ने बताया कि उनकी पत्नी ने वर्ष 2018 में कोर्ट में उनके खिलाफ तलाक का केस लगाया था। उसके बाद से उनके खिलाफ कई मामले दर्ज करा चुकी हैं। कोर्ट में उनके खिलाफ तलाक के ऐवज में 40 लाख रुपए की मांग की थी। वह डूप्लैक्स अपने नाम कराना चाहती थीं।

# ईदगाह हिल्स रोड पर लीकेज देख नाराज हुए निगमायुक्त

## निर्माणाधीन निगम मुख्यालय भवन एवं फिल्टर प्लांटों का किया निरीक्षण

**भोपाल (काप्र)।**

**निगम आयुक्त केवीएस चौधरी ने तुलसी नगर में निर्माणाधीन निगम मुख्यालय भवन के निर्माण कार्यों तथा करबला पम्प हाउस व ईदगाह फिल्टर प्लांट सहित अन्य जलशोधन संयंत्रों का निरीक्षण किया और निगम मुख्यालय भवन के काटन वॉल व रैम्प सहित अन्य कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने, पर्याप्त वेंटीलेशन व प्रकाश की व्यवस्था करने तथा पेड़ लगाने के निर्देश दिए।**

निगम आयुक्त श्री चौधरी ने करबला पम्प हाउस व ईदगाह फिल्टर प्लांट सहित अन्य फिल्टर पम्पस का निरीक्षण कर रॉ वॉटर सप्लाई व जलशोधन संयंत्र व प्रयोगशाला की प्रक्रिया का अवलोकन किया और ईदगाह हिल्स स्थित मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के सामने पाईप लाईन डालने का कार्य 10 दिन में तथा राम मंदिर व बैरागढ़ जलप्रदाय से संबंधित कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान ईदगाह हिल्स मुख्य मार्ग पर तीन लीकेज पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए श्री चौधरी ने संबंधित सहायक यंत्री को फटकार लगाई और तत्काल लीकेज सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त सुश्री ऋजु बाफना, मुख्य अभियंता एआर पवार, अधीक्षण यंत्री उदित गर्ग, नगरयंत्री जेडए खान मौजूद थे। निगम आयुक्त ने शुक्रवार को निर्माणाधीन निगम मुख्यालय भवन के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और काटन वॉल, रैम्प व पिलर का कार्य तेजी से करने, भराव का कार्य तथा पेड़ लगाने संबंधी कार्यों को तीव्र गति से करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त श्री चौधरी ने मुख्यालय भवन में पर्याप्त वेंटीलेशन एवं प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए साथ ही यह भी निर्देशित किया कि प्रकाश की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि लाईट केवल रात में ही जलानी पड़े। श्री चौधरी ने करबला पम्प हाउस का निरीक्षण किया और ईदगाह हिल्स फिल्टर प्लांट पर रॉ वॉटर भेजने की प्रक्रिया का अवलोकन किया और इस संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी भी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान ईदगाह हिल्स मुख्य मार्ग पर तीन जगह पानी बेहता देख निगम आयुक्त अपने वाहन से उतरे और स्थल का मुआयना किया तो पाया कि पाईप लाईन से लीकेज हो रहा है। श्री चौधरी ने उक्त लीकेज पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित सहायक यंत्री को फटकार लगाई और तत्काल लीकेज ठीक करने के आदेश दिए।

### पांच साल से फरार थे फर्जी जमानतदार क्राइम ब्रांच ने दबोचा

**भोपाल। राजधानी की क्राइम ब्रांच टीम ने फर्जी जमानतदार गिरोह के बीते पॉच सालों से फरार दो आरोपियो को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। दोनो आरोपी फर्जी बही के जरिए कोर्ट मे पेश होकर अन्य आरोपियो के परिवार वालो से मोटी रकम लेकर जमानत लेते थे।**

क्राइम ब्रांच अफसरो से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि लंबे समय से फर्जी जमानत लेने के मामले मे फरार चल रहे आरोपियों में शामिल मूलचंद उर्फ देवी लाल कोहेफिजा इलाके मे नजर आया है खबर मिलते ही टीम ने पुराने आरटीओ के पास से घेराबंदी कर मूलचंद को पकड लिया। उसके साथ ही पुलिस ने सूचना मिलने पर भगवान दास सिंह मीणा निवासी न्यू कालोनी बैरागढ़ को भी इलाके मे स्थित आकाश गार्डन के पास से दबोच लिया। अधिकारियो ने बताया कि पकडे गये दोनो आरोपी फर्जी बही मामले में मास्टरमांइड जीवन मीणा के सहयोगी थे। साल 2015 में गिरोह के अन्य आरोपियो की गिरफ्तारी की भनक लगते ही वो फरार हो गए थे। पुलिस से बचने के लिये वो लगातार अपने ठिकाने बदल-बदलकर कर फरारी काट रहे थे। मूलचंद मजदूरी का काम कर रहा था, ओर मजदूरी करने के लिए अलग-अलग जगह जाकर रहने लगता जिसके चलते पुलिस उसकी सही जानकारी नही जुटा पा रही थी। वही दूसरा शातिर आरोपी भगवानदास पुताई का काम करने लगा। गिरोह के पास से पुलिस ने कई फर्जी बही जप्त की थी।

# वर्षा ऋतु में सड़क संधारण के लिए अधिकारियों का प्रशिक्षण

**भोपाल (काप्र)।**

**लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्षा ऋतु में भोपाल शहरी क्षेत्र की सड़कों के संधारण के लिये अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण निर्माण भवन में किया गया।**

मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग श्री संजय मस्के ने बताया कि शहरी सड़कों के वर्षा ऋतु में संधारण के लिये विशेष कार्य-योजना तैयार की गई है। इसमें सभी क्षतिग्रस्त सड़क, पुल-पुलियों का चिन्हांकन भी किया जा चुका है।

श्री मस्के ने कहा कि विभाग के कार्यपालन यंत्री से लेकर उप यंत्रियों तक को सड़क के रख-रखाव की जिम्मेदारी दी गई है। सभी इंजीनियर्स का दायित्व है कि वर्षा ऋतु में यदि सड़क में गड्ढे होते हैं, तो उसे तत्काल ठीक करवायें। परफार्मेंस गारंटी में जो सड़कें हैं, उन्हें तत्काल रिपेयर करने के लिये संबंधित ठेकेदारों को अपने हॉटमिक्स प्लांट को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार जिन सड़कों में बड़े गड्ढे हुए एवं जिन्हें लगातार वर्षा के कारण ठीक करना संभव नहीं हो पा रहा हो, उन सड़कों पर बैरीकेट्स या सावधानी बोर्ड तत्काल लगाया जाये, ताकि कोई भी दुर्घटना न हो। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता नरेन्द्र कुमार द्वारा भी वर्षा ऋतु में सड़कों पर तत्काल मरम्मत कार्य किस प्रकार किये जाये, संबंधी आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण के साथ दिशा-निर्देश दिये गये।

# चूहा मार दवा खाने से महिला की मौत

**भोपाल (काप्र)।** शहर के नजदीक बागसेवनिया इलाके मे बन रहे निर्माणधीन मकान मे विवाहिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मोत हो गई। शुरुआती जॉच मे सामने आया हे कि मृतका का अपने पति से मामूली विवाद हुआ था। थाना पुलिस ने बताया कि मूल रुप से सागर की रहने वाली 29 वर्षीय सोना अहिरवार पति धर्मेंद्र अहिरवार मजदूरी करते थे। इन दिनो पति-पत्नि सोना इलाके मे स्थित पेवल वे कॉलोनी बागमुगलिया में बन रहे निर्माणाधीन मकान में काम करते हुए यही पर अपने तीन साल के बच्चे के साथ रह रहे थे। 20 जून को सोना ने जहरीला पर्दाथ पी लिया। थोडी देर बाद उसे उल्टियां होने लगी। इसके बाद हादसे की जानकारी लगने पर धर्मेंद्र पत्नी को इलाज के लिये अस्पताल लेकर पहुंचा था। वहॉ इलाज के दौरान विवाहिता की हालत लगातार नाजूक होती गई, आखिरकार दो दिन बाद बुधवार देर रात उसकी मौत हो गई। अस्पताल से मिली सूचना पर पहुचीं पुलिस टीम को पति धर्मेंद्र ने बताया कि घटना वाले दिन बच्चे के एडमिशन की बात को लेकर उसकी पत्नी से मामूली कहासुनी हो गई थी। इसी बात से गुस्सा होकर पत्नि ने कीटनाशक पी लिया।

### वृद्ध ने गलती से पी लिया जहरीला कीटनाशक, 13 दिन बाद मौत

**भोपाल।** राजधानी के गांधी नगर इलाके के घर मे रखा जहरीला कीटनाशक पीने से वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ग्राम करोद खुर्द मे रहने वाले 70 वर्षीय दौलतराम पुत्र बुद्धराम खेती किसानी करते थे। बीती 8 जून को उन्होने घर मे रखा जहरीला कीटनाशक पी लिया था। तबीयत बिगड़ने पर परिवार वालो ने उन्हे तुरतं ही इलाज के लिये निजी अस्पताल में भर्ती कराया। करीब 13 दिन चले इलाज के बाद आखिरकार बीती रात दौलतराम ने दम तोड दिया। शुरुआती जॉच मे परिवार वालो ने पुलिस को बताया कि दौलतराम मे पानी के धोखे में कीटनाशक पी लिया था।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद, प्रदेश महामंत्री एवं प्रदेश संयोजक भगवानदास सबनानी, सह-संयोजक प्रदीप त्रिपाठी के साथ प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव प्रबंधन समिति, जिला नगरीय निकाय चुनाव प्रबंधन समिति, जिला अध्यक्षों, नगर पालिका व नगर परिषद चुनाव प्रभारियों से वीडियो कान्फ्रेसिंग से चर्चा की।


**नाम परिवर्तन**

सर्व साधारण को सूचित करते हैं कि हमारे पुत्र उत्सव मेहोलिया जन्मतिथि 22.12.2005 को भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए उत्सव मेहोलिया माहेश्वरी के नाम से संव्यवहार किया जाये।

**महेश माहेश्वरी और किरण बंशीवाल माहेश्वरी निवासी एफ-48 द्वारकाधाम कैंपस करोंद बायपास भोपाल (म.प्र.)**

**जाहिर-सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार 1. श्रीमति अंताक्षरी राणा 2. श्रीमति निरूपमा राणा 3. श्रीमति शिखा ने श्रीमति कल्पनादेवी आयु वयस्क पत्नि श्री घनश्याम जाति कलार निवासी भोपाल जिला भोपाल म.प्र. के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम बगासपुर पटवारी हल्का नं. 30 राजस्व निरीक्षक मण्डल सुल्तानपुर विकास खण्ड औबेदुल्लागंज तहसील सुल्तानपुर जिला रायसेन म.प्र. में स्थित है। भूमि जिसका खसरा नं. 11/1 रकबा 0.461 हैक्टेयर अर्थात रकबा 1.14 एकड में से 0.437 हैक्टेयर अर्थात 1.08 एकड़ एवं खसरा क्रमांक 11/2/1 रकबा 0.347 हैक्टेयर अर्थात 0.85 एकड में से 0.319 हैक्टेयर अर्थात 0.79 एकड़ कुल विक्रय रकबा 0.756 हैक्टेयर अर्थात 1.86 एकड भूमि जिसका विक्रय अनुबंध पत्र किया उक्त भूमि की चतुर्थ सीमाऐं पूर्व में पूर्व दिशा में एन एच रोड पश्चिम दिशा में शासकीय भूमि उत्तर दिशा में शासकीय भूमि दक्षिण दिशा में विक्रय स्वंय कि खसरा क्रमांक 11/1 की शेष भूमि एवं खसरा क्रमांक 11/2/1 की शेष भूमि इसके वाद श्री जगदीश कुमार एवं सुनील कुमार की भूमि जिसका क्रय करने का सौदा मेरे पक्षकार ने तय कर लिया है एवं बयाना राशि का भुगतान कर दिया गया है उक्त वर्णित भूमि के संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, सोसायटी, बैंक, सरकारी व गैरसरकारी कार्यालय को कोई आपत्ति, ऋणभार हक व अन्य कोई हित हो या उक्त भूमि कहीं दान, बंधक, गिरवी, हस्तांतरण, विक्रय, विक्रय अनुबंध आदि हो तो, वह व्यक्ति, फर्म, बैंक अथवा संस्था इस सूचना प्रकाशन के सात दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर लिखित मे मय दस्तावेज प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा मेरे पक्षकारगण द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन अपने पक्ष में करा लिया जायेगा, ऐसी स्थिति में कोई आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी।

**नीतेश नागर अधिवक्ता**
**औबेदुल्लागंज तहसील गौहरगंज जिला रायसेन मप्र**
**मो. 9691819010**

**आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम श्रम न्यायालय क्र. 1 भोपाल**
**प्रक. क्र. 36/ डब्लूसीएफ/2022**

**सूचना पत्र**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 27/1/2022 को हुई दुर्घटना में श्रमिक श्री तुलाराम वाजपेयी आत्मज श्री होलासीराम की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि नियोक्ता नईदुनिया पब्लिकेशन प्रायवेट लिमिटेड भोपाल (म.प्र.) द्वारा इस न्यायालय में रुपए 3, 21, 310/- अक्षरी तीन लाख इक्कीस हजार तीन सौ दस मृतक के आश्रितों को वितरण करने हेतु जमा किए गए हैं। यह राशि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत जमा की गई है। अतः यदि कोई व्यक्ति धारा 21 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत मृतक का आश्रित हो तो वह दिनांक 26/7/2022 को सुबह 10.30 बजे मेरे समक्ष इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना क्लेम एवं साक्ष्य प्रस्तुत करें और साथ में अपनी शिनाख्तगी के लिए किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अटेस्टेड किया हुआ स्वयं का फोटो भी साथ में लावे। उक्त दिनांक को अवकाश घोषित हो जाता है या अन्य किसी कारण से कार्य स्थगित हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई अगले कार्य दिवस पर की जावेगी। ध्यान रहे कि उपरोक्त दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रार्थनापत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अतः आज दिनांक 17.6.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

**आयुक्त**
**कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम**
**श्रम न्यायालय क्रमांक 1 भोपाल म.प्र.**

**कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल**

**आम सूचना**

हाऊसिंग बोर्ड कालोनी नेहरू नगर भोपाल (म.प्र.) में स्थित फ्लेट क्रमांक जूनियर एम.आई.जी./डी- 517 प्रथम तल मण्डल द्वारा श्री कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव आत्मज स्व. श्री बल्देवदास श्रीवास्तव के नाम से नामांतरित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 7.12.1994 को किया गया है। श्री कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव का स्वर्गवास दिनांक 13.4.2022 को एवं उनकी पत्नी श्रीमती राजकुमारी श्रीवास्तव का स्वर्गवास दिनांक 6.2.2010 को हो गया है। श्री कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव ने अपने जीवन काल में उक्त सम्पत्ति की वसीयतनामा श्री राज बहादुर श्रीवास्तव आत्मज श्री शमशेर बहादुर श्रीवास्तव के पक्ष में दिनांक 14.10.2020 को पंजीकृत किया गया है। आवंटी के पुत्र श्री राज बहादुर श्रीवास्तव आत्मज श्री शमशेर बहादुर श्रीवास्तव ने मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पंजीकृत वसीयतनामा की छायाप्रति एवं मण्डल का निर्धारित आवेदन पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति अपने नाम से नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ संस्था/ वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

146760

**सम्पदा अधिकारी,**
**म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र, भोपाल**

**कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल सं.क्र. 1 जी.टी.बी. काम्प्लेक्स न्यू मार्केट भोपाल (म.प्र.)**

**आम सूचना**

हाऊसिंग पार्क कॉलोनी बैरसिया रोड भोपाल में स्थित भवन क्र. जूनियर एच.आई.जी. 26 मंडल द्वारा श्री अजीत कुमार जैन एवं श्री अनुराग जैन के नाम से आवंटित है। उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त सम्पत्ति श्रीमती सबीहा खान एवं श्री शाहिद खान को हस्तांतरण किए जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया है। उक्त सम्पत्ति के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/ संस्था को इसमें कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

146761

**सम्पदा अधिकारी,**
**म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल संभाग क्र. 1 भोपाल**

**कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल सं.क्र. 1 जी.टी.बी. काम्प्लेक्स न्यू मार्केट भोपाल (म.प्र.)**

**आम सूचना**

विश्वकर्मा नगर बैरसिया रोड भोपाल में स्थित भवन क्र. ई.डब्ल्यू.एस. 274 मंडल द्वारा श्रीमती माया अडवानी आत्मज श्री पप्पू अडवानी के नाम से आवंटित है। उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त सम्पत्ति श्री गुलाब चंद आत्मज श्री कुंदनलाल साहू को हस्तांतरण किए जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया है। उक्त सम्पत्ति के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/ संस्था को इसमें कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

146762

**सम्पदा अधिकारी,**
**म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल संभाग क्र. 1 भोपाल**

**कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल सं.क्र. 1 जी.टी.बी. काम्प्लेक्स न्यू मार्केट भोपाल (म.प्र.)**

**आम सूचना**

विश्वकर्मा नगर बैरसिया रोड भोपाल में स्थित भवन क्र. ई.डब्ल्यू.एस. 213 मंडल द्वारा श्री मोहम्मद सगीर खान आत्मज श्री मोहम्मद इस्माईल के नाम से आवंटित है। उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त सम्पत्ति श्री रविन्द्र सिंह यादव एवं श्रीमती रचना यादव को हस्तांतरण किए जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया है। उक्त सम्पत्ति के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/ संस्था को इसमें कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

146763

**सम्पदा अधिकारी,**
**म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल संभाग क्र. 1 भोपाल**

**कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल**

**आम सूचना**

हाऊसिंग बोर्ड कालोनी कोहेफिजा भोपाल में स्थित भूखण्ड क्रमांक बी-65 मण्डल द्वारा (1) श्री सैय्यद जीशान हैदर रिजवी आत्मज स्व. श्री सैय्यद कायम हुसैन रिजवी (2) श्री सैय्यद जरगाम हैदर रिजवी आत्मज स्व. श्री सैय्यद कायम हुसैन रिजवी के नाम से नामांतरित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन पंजीयक कार्यालय से दिनांक 5.5.1982 को पंजीकृत है। (1) श्री सैय्यद जीशान हैदर रिजवी आत्मज स्व. श्री सैय्यद कायम हुसैन रिजवी (2) श्री सैय्यद जरगाम हैदर रिजवी आत्मज स्व. श्री सैय्यद कायम हुसैन रिजवी द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री दुररेज उद्दीन फारूकी आत्मज श्री मिनहाज उद्दीन फारूकी को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय किया है। जिसका विक्रय विलेख का पंजीयन पंजीयक कार्यालय में दिनांक 23.6.2022 को निष्पादित करा दिया है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए उक्त सम्पत्ति श्री दुररेज उद्दीन फारूकी आत्मज श्री मिनहाज उद्दीन फारूकी के नाम उक्त सम्पत्ति हस्तांतरण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ संस्था/ वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

146764

**सम्पदा अधिकारी,**
**म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र, भोपाल**

**कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल**

**आम सूचना**

हाऊसिंग बोर्ड ई-7 अरेरा कालोनी भोपाल में स्थित भवन क्रमांक एच.आई.जी./एच.एक्स 71 (भूतल) मण्डल द्वारा श्री नेपाल सिंह रावत आत्मज श्री प्रताप सिंह रावत के नाम से आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय से दिनांक 13.01.1999 को एवं अतिरिक्त भूमि विक्रय पत्र दिनांक 23.6.1994 को पंजीकृत है। श्री नेपाल सिह रावत का स्वर्गवास दिनांक 8.11.2016 को हो गया है। आवंटी के एक पुत्र श्री प्रदीप रावत आत्मज स्व. श्री नेपाल सिंह रावत द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, अन्य वारिसों के अनापत्ति शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति अपने नामों से नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, उक्त दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ संस्था/ वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

146765

**सम्पदा अधिकारी,**
**म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र, भोपाल**

**नाम परिवर्तन**

सर्व साधारण को सूचित करते हैं कि हमारे पुत्र उत्कर्ष मेहोलिया जन्मतिथि 22.12.2005 को भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए उत्कर्ष मेहोलिया माहेश्वरी के नाम से संव्यवहार किया जाये।

**महेश माहेश्वरी और किरण बंशीवाल माहेश्वरी निवासी एफ-48 द्वारकाधाम कैंपस करोंद बायपास भोपाल (म.प्र.)**

**नाम परिवर्तन**

मै किरण बंशीवाल माहेश्वरी पत्नी महेश माहेश्वरी आयु- 50 वर्ष निवासी एफ-48 द्वारकाधाम कैंपस करोंद बायपास सजीव नगर के सामने भोपाल मध्यप्रदेश सर्व साधारण को सूचित करती हूं कि मेरे शिक्षा संबंधी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम किरण बंशीलाल (विवाह पूर्व)/किरण मेहोलिया /किरण माहेश्वरी अंकित है। यह कि भविष्य में मेरे नाम को लेकर कोई भ्रांति उत्पन्न न हो इसलिए अब भविष्य में मैं हमेशा अपना पूर्ण नाम किरण बंशीवाल माहेश्वरी का ही उपयोग करूंगी।